HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

The 2nd September,2015

No.13-HLA of 2015/13791/74 .- The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2015 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13- HLA of 2015

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2015

AS INTRODUCED IN HR

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 28th November, 2014.

Amendment of section 45 of Haryana Act 16 of 1994

2. For sub-section (1) of section 45 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a suitable officer, as the Commissioner of the Corporation."

Bill No. 10 of 2022

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No. 6 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Statement of Objects and Reasons

Presently, there are ten Municipal Corporations in existence in the State of Haryana namely, Faridabad, Gurgaon, Panchkula, Yamuna Nagar, Ambala, Karnal, Panipat, Rohtak, Hisar and Sonepat. Due to limited availability of IAS officers, the Government has appointed HCS officers in some of Municipal Corporations as Commissioner which is not consonant with the existing provisions of the Act.

Further, to sort out the difficulties being faced in this regard, a need has been felt that on the pattern of Delhi Municipal Corporation, the following provision may be made by amending the Section 45 (I) of the Haryana Municipal Act, 1994 :-

> **"45. Appointment of Commissioner**.- (I) The Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a suitable officer, as the Commissioner of the Corporation."

This amendment shall be deemed to have been effective with effect from the date of 28.11.1994 the date from which posting and transfer orders of HCS officers were issued to work as Commissioner, Municipal Corporations.

Kavita Jain,
Urban Local Bodies Minister,
Haryana.

Chandigarh: RAJENDER KUMAR NANDAL,
The 2nd September,2015. Secretary.

;प्राधिकृत अनुवादद्ध

2015 का विधेयक संख्या. 13—एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संषोधन) विधेयक, 2015

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संषोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है ।

(2) यह 28 नवम्बर, 2014 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 45 का संषोधन। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, की धारा 45 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपयुक्त अधिकारी को, निगम आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्तियां। 3. (1) हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा राज्य में 10 नगर निगम नामतः फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार तथा सोनीपत अस्तित्व में हैं । भारतीय प्रषासनिक सेवा अधिकारियों की सीमित संख्या के कारण, सरकार द्वारा कुछ नगर निगमों में हरियाणा नागरिक सेवा अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है जोकि अधिनियम की मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ।

इस सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह अनुभव किया गया है कि दिल्ली नगर निगम की तर्ज़ पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 45 ;1द्ध में निम्नानुसार संषोधन किया जाए :'—

''45. **आयुक्त की नियुक्ति** .— ;1द्ध सरकार, राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी उपयुक्त अधिकारी को निगम का आयुक्त नियुक्त करेगी । ''

यह संषोधन दिनांक 28.11.1994 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा जबसे हरियाणा नागरिक सेवा अधिकारियों को नगर निगमों में आयुक्त का कार्य करने के आदेष जारी किए गए हैं ।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री,हरियाणा ।

....

चण्डीगढ़ : **राजेन्द्र कुमार नांदल,**

दिनांक : 2 सितम्बर, 2015 **सचिव।**